कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली,
जिला–कोरबा (छ.ग.)

महाविद्यालय कोड : 514 AISHE CODE – 70551 Website-www.gcumreli.in Email ID: principalumreli@gmail.com

क्रमांकः 253/ अतिथि व्याख्याता /2026 उमरेली, दिनांक : 25/ 08/2026

//अतिथि व्याख्याता विज्ञापन//

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक ESTB-2035/637/22026-RAJPATRIT STHAPANA नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक – 18/08/2026 के पत्रानुसार **नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली, जिला–कोरबा (छ.ग.)** में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ दिनांक – 31/08/2026 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) का अध्ययन महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाईट http://gcumreli.in/ से अवलोकन किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

1. अतिथि व्याख्याता,को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :–

क्रमांक	विषय	पद संख्या
1	भौतिक शास्त्र	01

टीप :– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 31/08/2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य **नहीं** किया जावेगा। वर्तमान में **ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से** आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा ।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक – 01/09/2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईटएवं **http://gcumreli.in/** पर प्रकाशित किया जावेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि – 03/09/2026 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक – 05/09/2026 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट–2) देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय अतिथि व्याख्याता नीति–2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुसार होगा।
11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन–495671** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. अतिथि व्याख्याता के संबंधित विषय के शिक्षण कार्य के अतिरिक्त महाविद्यालय के कार्य जैसे नैक मूल्यांकन, अनुसंधान विकास, कार्यालयीन कार्य, परीक्षा कार्य, सांस्कृतिक, खेल–कूद, ग्रंथालय संबधित कार्य एवं अन्य सौपे गए कार्यों को भी करेगें। उक्त कार्य के साथ–साथ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गऐ सभी कार्यों का अनिवार्यतः निष्पादन करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली
जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्रमांकः 254/ अतिथि व्याख्याता /2026 **उमरेली, दिनांक : 25/ 08/2026**

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, (अग्रणी) ई. वि. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.) को सूचना पटल में चस्पा करने हेतु सूचनार्थ।
4. स्थापना/लेखा शाखा नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली,जिला–कोरबा छ.ग.।

प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय उमरेली
जिला–कोरबा (छ.ग.)